न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर, शाहजहाँपुर।

वाद संख्याः 01/07
ग्रामः अजीजगंज
तहसीलः सदर

धाराः 161 जेड0ए0 एण्ड एल0आर0 एक्ट
परगनाः जमौर
जिलाः शाहजहाँपुर

ग्राम समाज बनाम प्रमोद कुमार अग्रवाल आदि।

निर्णय आदेशः ता० नि० 30.11.07

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल पुत्र शांति प्रसाद अग्रवाल आदि के प्रार्थना पत्र दिनांक 27.09.07 के आधार पर प्रारम्भ हुई, जिसमें प्रार्थी द्वारा अभिकथन किया है कि उसकी कुछ जमीने ग्राम अजीजगंज में मौके पर एक्जाई है। ग्राम समाज के स्वामित्व में कुछ नम्बर मौजूद है। ग्राम समाज की यह भूमि कुल 6 किता क्षेत्रफल 1.250 हे0 है, जो अलग अलग टुकड़ों में बिखरी हुई है। ग्राम समाज के पूर्ण उपयोग होना सम्भावित नहीं है। प्रार्थीगण ने कुछ जमीन कई वर्ष पहले क्रय की थी, परन्तु चकबन्दी प्रक्रिया लागू हो जाने के कारण बैनामा समय से नहीं हो सका और यह बैनामा उनके नाम हो चुके है। प्रार्थीगण की भूमि का स्वामित्व संक्रमणीय भूमिधर श्रेणी 1–क है जो कुल 6 किता क्षेत्रफल 1.291 हे0 है, जिसको विक्रय करने/परिवर्तन करने आदि के सभी के अधिकार प्राप्त है। ग्राम समाज की भूमि के परिवर्तन से क्षेत्रफल व मूल्यांकन दोनो प्रकार से लाभ होगा और ग्राम समाज की जमीन अलग–अलग टुकड़ों में होने के कारण ग्राम समाज को भूमियों का उचित लाभ नहीं मिल पाता। इस परिवर्तन के बाद ग्राम समाज के लिए भूमि लाभकारी हो जाएगी। स्थानान्तरण किये जाने हेतु गाटा संख्या 22क/0.073, 22/765/0.182, 23/0.110, 24/0.270, 26/0.421, 38/0.235 स्थित ग्राम अजीजगंज का विनिमय इसी ग्राम में स्थित श्रेणी 5–(1) नवीन परती के अन्तर्गत दर्ज गाटा संख्या 722/0.785, 274ख/0.242, 725ख/0.025, 729/0.101, 730ख/0.054, 716ख/0.043 से चाहा गया था। इस विनिमय में ग्राम समाज की भूमि बढ़ रही है। खातेदार की भूमि की मालियत अधिक है। विनिमय में प्रस्तावित ग्राम समाज भूमि की मालियत काफी कम है। इसके साथ–साथ खातेदार की भूमिधरी की भूमि एक जगह पर सभी नम्बरान एकत्रित है। ग्राम पंचायत को एक जगह पर एकत्रित भूमि मिल रही है। जिससे भविष्य में पात्र व्यक्तियों में आवंटन में असुविधा नहीं होगी, आसानी से एक जगह पर ही कृषि आवंटन किया जा सकेगा के स्थानान्तरण किये जाने हेतु धारा 161 जेड0ए0 एण्ड एल0आर0 एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मॉग की गई है।

प्रार्थना पत्र तहसीलदार सदर से आख्या प्राप्त की गई जो पत्रावली पर रक्षित है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि स्थित ग्राम अजीजगंज के भूमिधरी की गाटा संख्य22क/0.073, 22/765/0.182, 23/0.110, 24/0.270, 26/0.421, 38/0.235 कुल 6 किता रकबा 1.291 को अनुसूची "अ" की श्रेणी 5(1) नवीन परती की गाटा संख्या 722/0.785, 724ख/0.242, 725ख/0.025, 729/0.101, 730ख/0.054, 716ख/0.043, योग 6 किता रकबा 1.250 से विनिमय हेतु ग्राम सभा द्वारा प्रार्थना की गई। काश्तकारी की भूमि 1.291 हे0 है, जिसकी मालियत 20.96 रू0 है तथा ग्राम समाज की भूमि 1.250 हे0 जिसकी मालियत11.16 रू0 है। चूकि काश्तकारों की भूमि की मालियत अधिक है इस कारण ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है। गांव सभा को काफी लाभ हो रहा है। भूमि प्रबंधक समिति द्वारा उक्त विनिमय हेतु प्रस्ताव दिनांक 04.10.07 पारित किया गया है। अतः गांव सभा के हितों को देखते हुए विनिमय हेतु संस्तुति आख्या सहित प्रस्तुत की गई है।

प्रश्नगत वाद में जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) ने अपनी आख्या दिनांक 15.11.07 प्रस्तुत कर अभिकथन किया है कि अनुसूची अ जिसका रकबा 1.250 हे0 है ग्राम समाज की भूमि है। अनुसूची ब जिसका रकबा 1.242 हे0 है भूमि श्री प्रमोद अग्रवाल आदि की है जिसका रकबा ग्राम समाज की भूमि से अधिक है। ग्राम समाज की भूमि का लगान 11.16 रू0 तथा प्रार्थी का लगान 20.96 है जो 10 प्रतिशत से अधिक का अन्तर नहीं है। ग्राम समाज की भूमि प्रबन्धक समिति का प्रस्ताव दिनांक 04.10.07 द्वारा प्रश्नगत भूमि के विनिमय में अपनी सहमति दी गई है, 0.041 हे0 भूमि अधिक मिल रही है जिससे पट्टे के समय पट्टेदार को भूमि अधिक मिलेगी। विनिमय करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं है।

तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 15.10.07 एवं जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व तथा अध्यक्ष भूमि प्रबंधक समिति एवं सदस्यगण, ग्राम सहवेगपुर द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 04.10.07 के आधार पर भूमि गाटा संख्या 22क/0.073, 22/765/0.182, 23/0.110, 24/0.270, 26/0.421, 38/0.235 कुल रकबा 1.291 हे0 का विनिमय गाटा संख्या 722/0.785, 724ख/

0.242, 725ख/0.025, 729/0.101, 730ख/0.054, 716ख/0.043 कुल रकबा 1.250 हे0 में किये जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार सदर की आख्या दिनांकित 15.10.07 एवं अध्यक्ष भूमि प्रबंधक समिति ग्राम सहवेगपुर द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 04.10.07 जनहित में स्वीकार किया जाता है। भूमि गाटा संख्या 22क/0.073, 22/765/0.182, 23/0.110, 24/0.270, 26/0.421, 38/0.235 कुल रकबा 1.291 हे0 दर्ज खातेदार प्रमोद कुमार अग्रवाल पुत्र शांति प्रसाद अग्रवाल व हितेश अग्रवाल पुत्र कैलाश नरायन अग्रवाल का नाम निरस्त करते हुए ग्राम समाज के दर्ज किया जाये तथा विनियमित भूमि गाटा संख्या 722/0.785, 724ख/0.242, 725ख/0.025, 729/0.101, 730ख/0.054, 716ख/0.043 कुल रकबा 1.250 हे0 पर प्रमोद कुमार अग्रवाल पुत्र शांति प्रसाद अग्रवाल व हितेश अग्रवाल पुत्र कैलाश नरायन अग्रवाल निवासी मो0 अजीजगंज का नाम भू–अभिलेखों में दर्ज किया जाये। तदनुसार परवाना अमल दरामद जारी हो। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक: 30 नवम्बर, 2007

उप जिलाधिकारी
सदर, शाहजहाँपुर।